



परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक /प्रलक्षित कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसी है और जो है जैसी है" के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक 26.02.2024 को बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

खाते / ऋणी का नाम एवं पता	बंधक संपत्तियों का विवरण एवं संपत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस दि.	आरक्षित मूल्य
		कब्जा दिनांक	धरोहर राशि
		बकाया राशि	बिड वृद्धि राशि

मंडीदीप शाखा : मंडीदीप

ऋणी- मेसर्स एक्ज्युरेट एगो इण्डस्ट्रीज श्री अब्दुल नईम खान पिता श्री अब्दुल लतीफ खान	प्लॉट क्र. 9ए/1, पटवारी हल्का नं. 12, औद्योगिक क्षेत्र, पीपल खिरिया, रायसेन रोड, तहसील रायसेन, जिला- रायसेन (म.प्र.) क्षेत्रफल-15064 वर्गफिट चतुर्सीमाएं- उत्तर- भूखंड क्र. 08, दक्षिण- रोड, पूर्व- प्लॉट नं. 09, पश्चिम- प्लॉट नं 9ए/2, संपत्ति मालिक-श्री अब्दुल नईम खान	21/03/2020	₹
		09/07/2020	20,16,000/-
		₹ 84,62,770.75 + ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 2,01,600/- ₹ 20,000/-
ऋणी- सुनगा जोड जनसेवा शिक्षा समिति पता-ब्लू वर्ड बोर्डिंग स्कूल, खसरा नं. 30/1/1, प.ह.नं. 12, ग्राम- सुनगा जोड, तहसील बैरसिया, जिला- भोपाल जमानतदार-श्री प्रेमनारायण गौर (अध्यक्ष) जमानतदार-श्री मुकेश गौर (सचिव)	भूमि स्थित खसरा नं. 30/1/1, प.ह.नं. 12, ग्राम- सुनगा तहसील बैरसिया, जिला- भोपाल (म.प्र.) कुल क्षेत्रफल- 43560 वर्गफिट संपत्ति मालिक- सुनगा जोड जनसेवा शिक्षा समिति चतुर्सीमाएं- पूर्व- श्री अर्जुन सिंह की भूमि, पश्चिम- बैरसिया से नजीराबाद रोड, उत्तर- श्री डांगी की भूमि, दक्षिण- श्री राठीड की भूमि	01.03.2023	₹
		20.05.2023	2,06,57,000/-
		₹ 1,40,31,237.13 + ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 20,65,700/- ₹ 50,000/-

आष्टा शाखा, जिला-सीहोर

ऋणी- मेसर्स अमिषेक ट्रेडर्स प्रोप. श्री विजय सिंह ठाकुर पुत्र श्री रतनसिंह पता: वार्ड नं. 16, राजश्री बोर्डिंग के पास, बजरंग कालोनी, कन्नोद रोड, आष्टा जिला- सीहोर	वार्ड नं. 16, राजश्री बोर्डिंग के पास, बजरंग कालोनी, कन्नोद रोड, आष्टा जिला- सीहोर-466116, क्षेत्रफल-1000 वर्गफिट संपत्ति मालिक- श्री विजय सिंह ठाकुर पुत्र श्री रतन सिंह चतुर्सीमाएं- उत्तर- रोड के बाद संतोष जैसवाल का मकान, दक्षिण- फूलसिंह ठाकुर का प्लॉट, पूर्व- शिवनारायण का मकान, पश्चिम- रोड	17.05.2023	₹
		01.09.2023	18,30,000/-
		₹ 1466682/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 1,83,000/- ₹ 15,000/-

जेल रोड शाखा, भोपाल

ऋणी- मेसर्स एम.जे. एसोसिएट्स प्रोपराइटर-श्रीमती सलोनी जिवनानी पति श्री महेश जिवनानी	दुकान नं. 06, भूतल, दुग्गल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 14-बी, गोविन्द गार्डन, रायसेन रोड, वार्ड नं. 44, तहसील- हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) क्षेत्रफल-120 वर्गफिट चतुर्सीमाएं- (विक्रय पत्र के अनुसार) उत्तर- दुकान क्रमांक 05, दक्षिण- दुकान क्रमांक 07, पूर्व- दुकान क्रमांक- 11, पश्चिम-10 फिट चौड़ी गली संपत्ति मालिक- श्रीमती सलोनी जिवनानी पति श्री महेश जिवनानी भौतिक कब्जा	25/04/2022	₹ 4,50,000/-
		12/09/2022	₹ 45,000/-
		₹ 35,06,583.55 + ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 10,000/-

बरेली शाखा : बरेली जिला-रायसेन (म.प्र.)

ऋणी- श्रीमती मीना बाई राजपूत पति श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत	मकान वार्ड क्र. 01, शक्ति नगर बरेली, खसरा क्र. 222/6, (कम्प्यूटराइज्ड खसरा नं. 226/6/3) तहसील बरेली जिला-रायसेन (म.प्र.) क्षेत्रफल-720 वर्गफिट चतुर्सीमाएं- उत्तर- देवेन्द्र की भूमि, दक्षिण- जयपाल राजपूत का प्लॉट, पूर्व- रास्ता, पश्चिम- शिल्पी का मकान, संपत्ति मालिक-श्रीमती मीना बाई राजपूत पति श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत	24/04/2018	₹
		31/08/2019	10,35,000/-
		₹ 729144/- + देय ब्याज एवं खर्च	₹ 1,03,500/- ₹ 10,000/-

गोहरगंज शाखा, गोहरगंज

ऋणी- श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र खुशीलाल शर्मा	प्लॉट नं. 19 एवं 20, सर्वे नं. 136, सुल्तानपुर, तहसील सुल्तानपुर, जिला- रायसेन (म.प्र.) क्षेत्रफल-30X50=1500 वर्गफिट 30X40=1200 वर्गफिट कुल क्षेत्रफल- 2700 वर्गफिट चतुर्सीमाएं- उत्तर- प्लॉट नं. 21, दक्षिण- प्लॉट नं. 18 एवं भगवान सिंह यादव, पूर्व- प्लॉट नं. 4 एवं 5 पश्चिम- रोड संपत्ति मालिक- श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र खुशीलाल शर्मा	22/10/2018	₹
		07/03/2019	32,99,000/-
		₹ 18,21,126/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 3,29,900/- ₹ 20,000/-

ईएमडी जमा करने की दिनांक एवं समय : 25.02.2024 को सायं 4.00 बजे या उससे पूर्व
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 26.02.2024 को सुबह 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in अथवा <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/lbapi/index.jsp> देखें।

तारीख : 12.01.2024, स्थान: भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय :
भोपाल

ई-नीलामी
की सूचना

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक /प्रलक्षित कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसी है और जो है जैसी है" के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक **26.02.2024** को बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

खाते / ऋणी का नाम एवं पता	बंधक संपत्तियों का विवरण एवं संपत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस दि.	आरक्षित मूल्य
		कब्जा दिनांक	धरोहर राशि
		बकाया राशि	बिड वृद्धि राशि
शाहपुरा शाखा, भोपाल			
ऋणी- मेसर्स संकल्प एसोसिएटस् प्रोपराइटर- श्री हिमांशु शेखर झा पता-मकान नं. 7-डी, पैरामाउंट विला, श्यामला हिल्स, भोपाल जमानतदार - 1. श्री हिमांशु शेखर झा 2. श्रीमती किरन झा	बंधक संपत्ति के मालिक का नाम - (श्री हिमांशु शेखर झा पुत्र श्री यू.एन. झा एवं श्रीमती किरण झा पत्नि श्री हिमांशु शेखर झा) मकान नं. 7-डी, पैरामाउंट विला, जाहनुमा होटल के पास, श्यामला हिल्स, भोपाल क्षेत्रफल-2016 वर्गफिट चौहद्दी- उत्तर- विला नं. एफ-9, दक्षिण- विला नं. ई-7, पूर्व- खुला, पश्चिम- विला नं. सी-7	04-09-2018 04-02-2021	₹ 1,45,25,000/-
		₹ 318,54,944.68 + ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 14,52,500/-
			₹ 50,000/-
ऋणी- श्री हिमांशु शेखर झा एवं श्रीमती किरन झा मकान नं. 7-डी, पैरामाउंट विला, श्यामला हिल्स, भोपाल जमानतदार - 1. श्री हिमांशु शेखर झा पुत्र श्री यू.एन. झा एवं 2. श्रीमती आकांक्षा कश्यप पुत्री श्री हिमांशु शेखर झा	1. बंधक संपत्ति के मालिक का नाम - (श्री हिमांशु शेखर झा पुत्र श्री यू.एन. झा) दुकान नं. एम-15, प्लॉट नं. 206, सृष्टि काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल क्षेत्रफल-430 वर्गफिट चौहद्दी- उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- ऑफिस नं. एम-01, पूर्व- मेन रोड, पश्चिम- ऑफिस नं. एम-14 2. बंधक संपत्ति के मालिक का नाम - (श्रीमती आकांक्षा कश्यप पुत्री श्री हिमांशु शेखर झा) दुकान नं. एम-14, मेजनाइन फ्लोर, प्लॉट नं. 206, सृष्टि काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल क्षेत्रफल- 240 वर्गफिट चौहद्दी- उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- कॉरिडोर, पूर्व-ऑफिस नं. एम-15, पश्चिम- ऑफिस नं. एम-13	04-09-2018 04-02-2021	₹ 61,56,000/-
		₹ 170,98,281/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 6,15,600/-
			₹ 25,000/-

ईएमडी जमा करने की दिनांक एवं समय : 25.02.2024 को सायं 4.00 बजे या उससे पूर्व
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 26.02.2024 को सुबह 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in अथवा <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp> देखें।
तारीख : 23.01.2024, स्थान: भोपाल प्राधिकृत अधिकारी



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय :
भोपाल

ई-नीलामी
की सूचना

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक /प्रलक्षित कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसी है और जो है जैसी है" के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक **26.02.2024** को बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

खाते / ऋणी का नाम एवं पता	बंधक संपत्तियों का विवरण एवं संपत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस दि.	आरक्षित मूल्य
		कब्जा दिनांक	धरोहर राशि
		बकाया राशि	बिड वृद्धि राशि

गुलमोहर शाखा, भोपाल फोन : 7024115041

ऋणी- मेसर्स आर. के. इण्टरप्राइजेस, प्रोपराइटर- श्री दिनेश वसंत लिखार जमानतदार- श्रीमती शोभा श्रीवास्तव पत्नि श्री महेशचंद्र श्रीवास्तव	एक ऑफिस नं. - 06, प्लॉट नं. 191बी, प्रथम तल मानस परिसर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग स्थित एम.पी. नगर, जोन-1, वार्ड नं. 43, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल क्षेत्रफल- 36.24 वर्गमीटर संपत्ति मालिक- श्रीमती शोभा श्रीवास्तव पत्नि श्री महेशचंद्र श्रीवास्तव चतुर्सीमाएं- उत्तर- कॉमन पैसेज एवं सीढ़िया, दक्षिण- अन्य की संपत्ति, पूर्व- ऑफिस नं.-07, पश्चिम- ऑफिस नं.-05	30/09/2022 19/12/2022	₹ 25,00,000/-
		₹ 2651290/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें	₹ 2,50,000/-
		भौतिक कब्जा	₹ 25,000/-

बेगमगंज शाखा : बेगमगंज फोन : 7024115034

ऋणी- मेसर्स गौरव एजेंसी प्रोप. श्री गौरव जैन जमानतदार-श्री सुधीश चंद्र जैन पुत्र श्री मथुरा प्रसाद जैन	मकान नं. गोल्ड-6, इंडस टाउन, ग्राम-रतनपुर सड़क, होशंगाबाद रोड, तहसील हुजूर, जिला- भोपाल (म.प्र.) क्षेत्रफल-945 वर्गफिट चतुर्सीमाएं- उत्तर- गोल्ड-5, दक्षिण- गोल्ड-7, पूर्व- विक्रेता की दुकान, पश्चिम- रोड संपत्ति मालिक- श्री सुधीश चंद्र जैन पुत्र श्री मथुरा प्रसाद जैन	20/10/2022 05/01/2023	₹ 27,52,000/-
		₹ 16,92,099/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें	₹ 2,75,200/-
			₹ 25,000/-

बरेली शाखा : बरेली जिला-रायसेन (म.प्र.) फोन : 7024115031

ऋणी- (1) श्री इन्द्रपाल सिंह राजपूत (2) श्रीमती रामेती बाई राजपूत पत्नि श्री इन्द्रपाल सिंह राजपूत	प्लॉट / मकान वार्ड क्र. 02, मौलाना आजाद वार्ड, खसरा नं. 216/39, (कम्प्यूटराईज्ड खसरा नं. 216/48) तहसील बरेली, जिला-रायसेन (म.प्र.) क्षेत्रफल-391 वर्गफिट संपत्ति मालिक- श्रीमती रामेती बाई पत्नि इन्द्रपाल सिंह राजपूत चतुर्सीमाएं-पूर्व-पशु चिकित्सालय की भूमि, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- प्रेमनारायण का मकान, दक्षिण- लक्ष्मी धाकड़ का मकान	31/12/2018 11-09-2019	₹ 6,75,000/-
		₹ 568386/- + देय ब्याज एवं खर्च	₹ 6,75,00/-
			₹ 10,000/-

नरेला शंकरा शाखा, भोपाल फोन : 7879070919

ऋणी- मेसर्स वैरियर शूज वैरियर स्टाईल प्रोपराइटर- श्रीमती मृदालिनी सिंह सेंगर	कमर्शियल शॉप नं. 19, भूतल, खसरा नं. 391-392/1 एवं 391-392/2 का भाग, एस्सारजी युगान्तर कॉम्प्लेक्स, ग्राम- बरखेड़ा, पठानी, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल क्षेत्रफल-100 वर्गफिट अथवा 9.29 वर्गमीटर संपत्ति मालिक- श्रीमती मृदालिनी सिंह सेंगर चतुर्सीमाएं- उत्तर- पैसेज, दक्षिण- शॉप नं. 20, पूर्व- सीढ़ियाँ, पश्चिम-शॉप नं. 18	17/05/2022 14/11/2022	₹ 7,00,000/-
		₹ 10,57,902/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें	₹ 70,000/-
		भौतिक कब्जा	₹ 10,000/-

ईएमडी जमा करने की दिनांक एवं समय : 25.02.2024 को सायं 4.00 बजे या उससे पूर्व
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 26.02.2024 को सुबह 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in अथवा <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp> देखें।

तारीख : 30.01.2024, स्थान: भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - BHOPAL

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 26.02.2024
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
25.02.2024 समय - प्रातः 10.00 बजे से साँय 6.00 बजे तक	26.02.2024 साँय 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जहाँ है जैसी है" तथा "बिना किसी शिकायत" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार - दिनांक 26.02.2024 को (समय : प्रातः 10.00 बजे से साँय 6.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल अ) <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ व ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> है।
- निविदाकर्ता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच. ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वालेट में अंतरित करना - ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
- ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी.ए.जी.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <http://ibapi.in> और <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-ब्रक्य आईबीएपीआई के पोर्टल (<http://www.ibapi.in>) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Handwritten signature and date
09/02/2024

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए (EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात (<https://www.mstcecommerce.com>) निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय दिनांक 25.02.2024 साँय 4:00 बजे तक।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबंधित संपत्ति के सामने उद्धृत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा। (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बड़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
3305322477	REGIONAL OFFICE EMD COLLECTION AC	CBIN0283312
		सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, Arera Hills, Bhopal

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायोजन में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
16. सभी विक्रय प्राप्ति के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय राशियाँ, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

Handwritten signature and date:
09/02/2024

17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदाकर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार, देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com>, www.ibapi.in और www.Centralbankofindia.co.in पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।
21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई-नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाय, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा - गुलमोहर, भोपाल मो. 7024115041, शाखा - मंडीदीप, मो. 7024115058, शाखा - आष्टा, मो. 7024115027, शाखा - जेल रोड, भोपाल मो. 7024115051, शाखा - बरेली, मो. 7024115031, शाखा - गोहरगंज मो. 7024115040, शाखा - शाहपुरा, भोपाल मो. 7024115086, शाखा - बेगमगंज मो. 7024115034, शाखा - नरेला शंकर, भोपाल मो. 7879070919 बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री ए पी सिंह मो. 7024173569 एवं श्री मुकेश राठौर मो. -7024115011, क्षेत्रीय कार्यालय, Bhopal, ईमेल- recvbhopro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : भोपाल
दिनांक : 09.02.2024

(Signature)
09/02/2024
कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

9, ARERA HILLS, JAIL ROAD, BHOPAL PIN - 462011, M.P.
Ph. 0755-2576028, 2674049, 7024115013, email - recvbhopro@centralbank.co.in